डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाबता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Applendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) चौहटन मुकाम चौहटन

व इजलास ***श्री सूरजभान विश्नोई, आर.ए.एस.***

अनवान

वादीगण – 1.हेमाराम 2.थानाराम 3.नगाराम 4.बालाराम 5.जोगाराम पि.दलाराम जातियान जाट, निवासी भादूओं का तला, तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण – 1.दलाराम पुत्र दमाराम, जाति जाट निवासी भादूओं का तला, तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर
2.तहसीलदार चौहटन

अधिवक्तागण – वादीगण वकील – **श्री नरेश भादू**
प्रतिवादीगण वकील – **श्री शाकर खान एच.**

वाद बाबत 88,188,40 RT Act.

मुकदमा नं. 65/2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू.ब.रू. **न्यायालय** बहाजरी **श्री नरेश भादू** एड. मिनजानिब मुदाई व **श्री शाकर खान एच.** एड . मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर **मौजा भादूओं का तला, पटवार क्षेत्र नेतराड़, तहसील चौहटन में खसरा सं. 131/91 रकबा 23.3665 हैक्टयर एवं खसरा सं. 90 रकबा 00.0162 हैक्टयर का आया हुआ है। उक्त विवादित भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 प्रत्येक को 1/6–1/6 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता है।** लगातार शेष पृष्ट पर........................ बीज .... मबलिग .... बाबत .... पर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह .... फीसदी सालाना आज ही तारीख से तारीख व सूलप्रार्थी तक .... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 27.03.2024 को जारी की गई।

मुहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suraj Bhan Vishnoi
Date: 2024.05.09 17:38:02 IST
Reason: SelfAttested

दस्तखत..........................

ओहदा सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) चौहटन

मुद्दई	रूपया	पै.	मुदायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प सबूत पइमनामा वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक			स्टाम्प वकी... ...र खर्चा गवाहान फ... मीश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		

नोट – इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा दर दो फरीकेन का चाहे बिकरी के जरिये दिलावे करना।

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व वाद सं. 65/2022

पीठासीन अधिकारी –श्री सूरजभान विश्नोई, आर.ए.एस

अनवान

वादीगण – 1.हेमाराम 2.थानाराम 3.नगाराम 4.बालाराम 5.जोगाराम पि.दलाराम जातियान जाट, निवासी भादूओं का तला, तहसील चौहटन, जिला बाडमेर

बनाम

प्रतिवादीगण – 1.दलाराम पुत्र दमाराम, जाति जाट निवासी भादूओं का तला, तहसील चौहटन, जिला बाडमेर
2.तहसीलदार चौहटन

अधिवक्तागण – वादीगण वकील – **श्री नरेश भादू**
प्रतिवादीगण वकील – **श्री शाकर खान एच.**

अन्तर्गत धारा 88,188,40 RT Act. RT Act.

निर्णय

दिनांक :– 27.03.2024

वादीगण के वाद का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 हिन्दू विधि से शासित है तथा पूर्व पुरूष पन्ना के वारिशान है। वादीगण एवं वादीगण के पिता प्रतिवादी सं. 1 दलाराम के संयुक्त अविभाजित, पुश्तैनी कब्जा काश्त की भूमि मौजा भादूओं का तला, पटवार क्षेत्र नेतराड, तहसील चौहटन में खसरा सं. 131/91 रकबा 23.3665 हैक्टयर एवं खसरा सं. 90 रकबा 00.0162 हैक्टयर की आई हुई है।

उक्त आराजी प्रतिवादी सं. 1 की स्वअर्जित सम्पति न होकर सदायिक सम्पति है। हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के अनुसार पुत्र व पुत्रियां भी सहदायिक है और बराबर की हिस्सेदार है। वादग्रस्त आराजी सेटलमेन्अ से पूर्व वादीगण के दादा एवं प्रतिवादी सं. 1 के पिता दमा के नाम दर्ज थी, दमा का स्वर्गवास सेटलमेन्ट से पूर्व हो जाने से वक्त सेटलमेन्ट वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी स. 1 के नाम खातेदारी में दर्ज हुई। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी सं. 1 को विरासत से प्राप्त हुई।

हिन्दू उतराधिकार अधिनियम में स्पष्ट है कि पिता की पैतृक सम्पति में पुत्र/पुत्री, पौत्र/पौत्री का जन्म से ही अधिकार होता है जिसकी घोषणा पिता के जीवनकाल में भी करवा सकते है। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी होने से वादीगण प्रत्येक का वादग्रस्त भूमि में अपना 1/6–1/6 हिस्सा घोषित करवाने के अधिकारी है। जिस हेतु वाद पेश कर इस्तदुआ चाही गई है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी सं. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री शाकर खान एच. ने वकालतनामा मय वादपत्र का इकबालिया जवाबदावा पेश कर वादीगण का वाद स्वीकार करते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 प्रत्येक का 1/6–1/6

Signature Not Verified
Digitally signed by Suraj Bhan Vishnoi
Date: 2024.05.09 17:38:02 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट-ट्रेक) चौहटन

हिस्सा घोषित किया जाता है तो उन्हें कोई आपति नहीं है। प्रतिवादी सं. 2 का सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुआ।

वादीगण वकील की ओर से वादी साक्ष्य में Pw1 पदमाराम पुत्र तिलोकाराम तथा Pw2 नगाराम पुत्र दलाराम का शपथ पत्र पेश किया गया। प्रतिवादी वकील को वादीगण का वाद स्वीकार है, इसलिए प्रतिवादी वकील कोई जिरह, प्रतिवादी साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते है, अवसर बन्द किया गया।

पत्रावली पेश हुई। उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। वादीगण वकील ने बहस में वाद में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया मौजा भादूओं का तला, पटवार क्षेत्र नेतराड, तहसील चौहटन में खसरा सं. 131/91 रकबा 23.3665 हैक्टयर एवं खसरा सं. 90 रकबा 00.0162 हैक्टयर आई हुई जो पैतृक एवं सहदायिक सम्पति है जिसमें वादीगण प्रत्येक को 1/6–1/6 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जावे।

प्रतिवादी वकील ने बहस में वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए निवेदन किया कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 प्रत्येक का 1/6–1/6 हिस्सा घोषित किया जाता है तो उन्हें कोई आपति नहीं है।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली पर सलंग्न दस्तोवजों का अवलोकन किया गया । जिससे स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त आराजी पैतृक एवं सहदायिक सम्पति है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार करने योग्य है। अतः न्यायहित में वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा भादूओं का तला, पटवार क्षेत्र नेतराड़, तहसील चौहटन में खसरा सं. 131/91 रकबा 23.3665 हैक्टयर एवं खसरा सं. 90 रकबा 00.0162 हैक्टयर का आया हुआ है। उक्त विवादित भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 प्रत्येक को 1/6–1/6 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता है।

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार चौहटन को लिखा जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.03.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) चौहटन

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Suraj Bhan Vishnoi
Date: 2024.05.09 17:38:02 IST
Reason: SelfAttested

(सूरजभान विश्नोई)
सहायक कलक्टर
(फास्ट–ट्रेक) चौहटन

सहायक कलक्टर
(फास्ट-ट्रेक) चौहटन